

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

हरिराम जाट बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर)

सू.अ.अपील संख्या 259/2023

न. व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम की  
तामील में  
जारी हुए

तारीख हुकम

08-04-24

अपीलार्थी हरिराम पुत्र नारायण राम जाट निवासी डांगियावास, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18/10/23 में (1) न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर द्वारा जारी रिमाण्ड प्रकरण संख्या (रिक्त) निर्णय दिनांक 5.8.1998 तहसीलदार जोधपुर श्री सोहन राम चौधरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.1998 से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की सत्य प्रतिलिपि एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो: पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो: पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

